

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड
मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 940/2015 इ.फौ.

संस्थापन दिनांक : 23.11.2015

फाइलिंग नंबर : 230303016182015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1—रहीम खान पुत्र गबडू खान उम्र 62 वर्ष,
निवासी खटीक मोहल्ला वार्ड नं0 4,
गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा—9(ख)(1)(क) विस्फोटक अधिनियम)
(राज्य द्वारा एडीपीओ—श्री प्रवीण सिकरवार।)
(आरोपी द्वारा अधिवक्ता—श्री अरुण श्रीवास्तव।)

:- नि र्ण य -:-

(आज दिनांक 13/09/2017 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 15.09.15 को 17:10 बजे अपने मकान में विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 5 के उल्लंघन में वैध अनुज्ञप्ति के बिना पटाखों का निर्माण करने एवं विक्रय के लिए अपने आधिपत्य में रखने हेतु विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9(ख) (1)(क) के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 15.09.15 को पुलिस थाना गोहद के उपनिरीक्षक जज सिंह यादव, प्रधान आरक्षक उदल सिंह, प्रधान आरक्षक महेश धाकरे, आरक्षक भूरा जामले एवं आरक्षक सुनील शर्मा के साथ शासकीय वाहन से कस्बागश्त पर रवाना हुए थे। गश्त के दौरान उन्हें जरिए मुखबिर सूचनाप्राप्त हुई थी कि आरोपी रहीम खां अवैध रूप से पटाखे बनाकर बिक्री हेतु अपने घर पर रखे हुए है। सूचना की तत्पश्चात हेतु वह मय स्टाफ पहुंचे थे एवं उन्होंने गवाह मुन्ना खटीक एवं प्रदीप कुशवाह के समक्ष रहीम खां के मकान की तलाशी ली थी तो उसके मकान में कासीराम पटाखे 100 पैकेट, मिर्ची पटाखा 10 पैकेट, फुलझडी 20 पैकेट अवैध रूप से रखे हुए था

नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रहीम खां बताया था आरोपी के पास पटाखा रखने बावत लाइसेंस नहीं था। उसने आरोपी से मौके पर ही पटाखे जप्त कर जप्ती की एवं आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की कार्यवाही की थी तत्पश्चात थाना वापिस आकर उसने आरोपी के विरुद्ध अप0क्र0 305/15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 15.09.15 को 17:10 बजे अपने मकान में विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 5 के उल्लंघन में वैध अनुज्ञप्ति के बिना पटाखों का निर्माण कर उन्हें विक्रय हेतु अपने आधिपत्य में रखा ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी मुन्ना खटीक अ0सा01, आरक्षक भूरा लाल जामले अ0सा02, प्रधान आरक्षक महेश कुमार ढाकरे अ0सा03, प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन अ0सा04, एस0 आई0 जजसिंह यादव अ0सा05, ए0एस0आई0 उदल सिंह भदौरिया अ0सा06 एवं साक्षी प्रदीप कुशवाह अ0सा07 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में एस0आई0 जज सिंह यादव अ0सा05 जो कि जप्तीकर्ता हैं ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह दिनांक 15.09.15 को रोजनामचे सान्हा में रवानगी डालकर प्रधान आरक्षक उदलसिंह, महेश ढाकरे एवं आरक्षक भूरा जामले के साथ व आरक्षक चालक सुनील के साथ कस्बा भ्रमण हेतु रवाना हुआ था। तभी उसे जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपी रहीम खां अवैध रूप से पटाखे बनाकर बिक्री के लिए अपने घर पर रखे हुए हैं। सूचना की तस्दीक हेतु वह स्वतंत्र साक्षी मुन्ना खटीक एवं प्रदीप कुशवाह के साथ रहीम खां के घर पहुंचा था तो उसके घर में अवैध रूप से कासीराम हाथ का बना पटाखा 100 पैकेट, मिर्ची पटाखा 10 पैकेट एवं फलझंडी 20 पैकेट अवैध रूप से रखे हुए पाया गया था जिसके संबंध में आरोपी के पास लाइसेंस नहीं था। उसने मौके पर ही गवाहों के समक्ष आरोपी से पटाखे जप्त कर प्र0पी01 का जप्ती पंचनामा बनाया था जिसके बी से बी भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं तत्पश्चात वह मय माल थाने वापिस आया था एवं उसने आरोपी के विरुद्ध प्र0पी03 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8. प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह करीब 16:00 बजे आरोपी के मकान वार्ड क्र0 4 खटीक मोहल्ला में पहुंच गया था उसने आरोपी के मकान के अंदर आंगन में छप्पर के नीचे से उक्त सामान बरामद किया था। पद क्र0 3 में उक्त साक्षी का कहना है कि आंगन अभियुक्त के मकान के बाहर था छप्पर खुले में था एवं यह भी

स्वीकार किया है कि वह लोग अभियुक्त के पक्के मकान के अंदर नहीं गए थे अभियुक्त उसे मौके पर नहीं मिला था रहीम के घरवालों ने स्वीकार किया था कि छपपर उनका है। पद क्र० 4 में उक्त साक्षी का कहना है कि प्रकरण में खानगी वापिसी नहीं डली है भूलवश रह गई है। सामान अलग-अलग रखा हुआ था।

9. साक्षी आरक्षक भूरा लाल जामले अ०सा०२ एवं ए०एस०आई० उदल सिंह भदौरिया अ०सा०६ द्वारा भी एस० आई जज सिंह यादव अ०सा०५ के कथन का समर्थन किया गया है एवं घटना दिनांक को एस० आई० जज सिंह यादव के साथ कस्बा गश्त पर जाने एवं आरोपी रहीम के घर से पटाखे जप्त किए जाने बावत् प्रकटीकरण किया है।

10. साक्षी मुन्ना खटीक अ०सा०१ एवं प्रदीप कुशवाह अ०सा०७ जो कि जप्ती एवं गिरफ्तारी के स्वतंत्र साक्षी हैं, द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं व्यक्त किया गया है कि उनके सामने पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। साक्षी मुन्ना खटीक अ०सा०१ द्वारा जप्ती पंचनामा प्र०पी०१ के ए से ए भाग पर एवं साक्षी प्रदीप कुशवाह अ०सा०७ द्वारा जप्ती पंचनामा प्र०पी०१ के सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त दोनों ही साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि पुलिस ने उनके सामने आरोपी रहीम से पटाखे जप्त किए थे।

11. प्रधान आरक्षक महेश ढाकरे अ०सा०३ ने व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 16.09.15 को साक्षीगण के समक्ष आरोपी रहीम को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी०२ बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन अ०सा०४ द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है।

12. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं परीक्षित साक्षियों के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

13. प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षी मुन्ना खटीक अ०सा०१ एवं प्रदीप कुशवाह अ०सा०७ द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है तथा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। आरोपी के विरुद्ध मात्र पुलिस कर्मचारियों की साक्ष्य शेष है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य का सूक्ष्मता से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।

14. प्रस्तुत प्रकरण में जप्तीकर्ता श्री जज सिंह यादव अ०सा०५ एवं आरक्षक भूरालाल जामले अ०सा०२, तथा ए०एस० आई० उदल सिंह भदौरिया अ०सा०६ ने घटना दिनांक को कस्बागश्त पर जाने एवं गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर खटीक मोहल्ला से आरोपी के घर से पटाखे जप्त करना बताया है परंतु उक्त संबंध में कोई रोजनामचा सान्हा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि जब कोई पुलिस अधिकारी/कर्मचारी थाने से खानगी होता है तो उसकी खानगी रोजनामचे में दर्ज की जाती है एवं वह रोजनामचा सान्हा उस पुलिस कर्मचारी/अधिकारी की थाने से खानगी का प्राथमिक साक्ष्य होता है। प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा कोई रोजनामचा सान्हा पुलिस द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही प्रस्तुत न करने का कोई कारण बताया गया है। प्र०पी०३ की प्रथम सूचना रिपोर्ट के कॉलम नं० 4अ में भी रोजनामचा क्रमांक अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में यही संदेहास्पद हो जाता है कि साक्षी जज सिंह यादव एवं भूरालाल जामले तथा उदल सिंह

भदौरिया घटना दिनांक को खटीक मोहल्ला गए थे अथवा नहीं। उक्त तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

15. एस आई जज सिंह यादव अ0सा05 ने अपने मुख्य परीक्षण में आरोपी रहीम के घर से पटाखे फुलझड़ी जप्त होना बताया है एवं प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा व्यक्त किया गया है कि वह और उसका स्टाफ साढ़े तीन बजे थाने से रवाना हुए थे एवं करीब 16:00 बजे वह अभियुक्त के मकान वार्ड क्र0 4 खटीक मोहल्ला पहुंच गए थे परंतु जप्ती पंचनामा प्र0पी01 में जप्ती की कार्यवाही दिनांक 15.09.15 को 17:10 बजे किया जाना वर्णित है। इस प्रकार उक्त बिंदु पर एस0 आई जज सिंह यादव अ0सा05 के कथन प्र0पी01 के जप्ती पंचनामे से विरोधाभासी रहे हैं जो अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।

16. एस0 आई0 जजसिंह यादव अ0सा05 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि अभियुक्त उसे मौके पर नहीं मिला था तथा वह अभियुक्त के मकान के अंदर नहीं गए थे उसने आरोपी के मकान के अंदर आंगन में छपपर के नीचे से उक्त सामान बरामद किया था। इस प्रकार जजसिंह यादव अ0सा05 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि आरोपी उसे मौके पर नहीं मिला था जबकि प्र0पी03 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह वर्णित है कि उसने आरोपी से नाम पता पूछा था तो आरोपी ने अपना नाम रहीम बताया था एवं जप्ती की कार्यवाही के समय आरोपी मौके से भाग गया था। इस प्रकार प्र0पी0 3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में रिपोर्ट के अनुसार आरोपी मौके पर मिला था परंतु वह मौके से भाग गया था जबकि जजसिंह यादव अ0सा05 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह व्यक्त किया गया है कि आरोपी उसे मौके पर नहीं मिला था उक्त साक्षी का ऐसा कहना नहीं है कि आरोपी मौके से भाग गया था इस प्रकार उक्त बिंदु पर एस0 आई0 जजसिंह यादव अ0सा05 के कथन प्र0पी03 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से किंचित विरोधाभासी रहे हैं जो अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।

17. एस0 आई0 जजसिंह यादव अ0सा05 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि आरोपी रहीम उसे मौके पर नहीं मिला था जबकि आरक्षक भूरालाल जामले अ0सा02 का कहना है कि आरोपी घर पर मिला था ए0एस0 आई उदल सिंह भदौरिया अ0सा06 द्वारा भी यह व्यक्त किया गया है कि आरोपी रहीम उसे घर पर मिला था रहीम ने ही उक्त सामान दिया था तथा वह रहीम को वाहन में बिठाकर थाने लेकर आए थे। इस प्रकार एस0आई जजसिंह यादव अ0सा05 का कहना है कि आरोपी उसे घर पर नहीं मिला था जबकि आरक्षक भूरालाल जामले अ0सा02 एवं ए0 एस0 आई0 उदल सिंह भदौरिया अ0सा06 का कहना है कि आरोपी रहीम उन्हें मौके पर मिला था ए0 एस0 आई0 उदल सिंह भदौरिया अ0सा06 का तो यह भी कहना है कि वह आरोपी को वाहन में साथ बिठाकर थाने लाए थे। इस प्रकार उक्त बिंदु पर एस0 आई जजसिंह यादव अ0सा05 के कथन आरक्षक भूरालाल जामले अ0सा02 एवं ए0एस0आई0 उदल सिंह भदौरिया अ0सा06 के कथन से विरोधाभासी रहे हैं उक्त विरोधाभास अत्यंत तात्त्विक है जो संपूर्ण जप्ती की कार्यवाही को ही संदेहास्पद बना देता है।

18. आरक्षक भूरालाल जामले अ0सा02 एवं ए0 एस0 आई0 उदल सिंह भदौरिया अ0सा06 ने अपने कथन में यह बताया है कि आरोपी उन्हें मौके पर मिला था एवं उदल सिंह भदौरिया अ0सा06 का यह कहना है कि वह आरोपी को साथ लेकर थाने आए थे परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी से जप्ती दिनांक 15.09.15 को की गई है एवं प्र0पी02 के जप्ती पंचनामे के अनुसार आरोपी को दिनांक 16.09.15 को 14:30 बजे अर्थात जप्ती की कार्यवाही के दूसरे दिन गिरफ्तार किया गया है इस प्रकार उक्त बिंदु पर आरक्षक भूरालाल जामले अ0सा02 एवं ए0 एस0 आई0 उदल सिंह भदौरिया अ0सा06 के कथन प्र0पी02 के गिरफ्तारी पंचनामे से भी पुष्ट नहीं रहे हैं जो उक्त साक्षीगण की मौके पर उपस्थिति संदेहास्पद बना देती है।

19. आरक्षक भूरालाल जामले अ0सा02 एवं ए0एस0 आई0 उदल सिंह भदौरिया अ0सा06 ने अपने कथन में घटना दिनांक को एस0 आई जजसिंह यादव अ0सा05 के साथ कस्बा गश्त पर जाने एवं उनके सामने आरोपी से पटाखे जप्त किए जाने बावत् प्रकटीकरण किया है परंतु जप्ती पंचनामा प्र0पी01 पर उक्त साक्षीगण के हस्ताक्षर नहीं है यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

20. एस0आई जजसिंह यादव अ0सा05 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन वह उदल सिंह भदौरिया महेश ढाकरे, भूरालाल जामले के साथ कस्बा गश्त पर गया था परंतु महेश ढाकरे अ0सा03 द्वारा जजसिंह यादव अ0सा05 के उक्त कथन का समर्थन नहीं किया गया है। महेश ढाकरे अ0सा03 का ऐसा कहना नहीं है कि वह घटना के समय जजसिंह यादव अ0सा05 के साथ में था। इस प्रकार उक्त बिंदु पर भी जजसिंह यादव अ0सा05 के कथन महेश ढाकरे अ0सा03 के कथन से पुष्ट नहीं हैं उक्त तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

21. उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में जप्ती की कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षी मुन्ना खटीक अ0सा01 एवं प्रदीप कुशवाह अ0सा07 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है शेष साक्षी भूरालाल जामले अ0सा02 महेश ढाकरे अ0सा03 जज सिंह यादव अ0सा05 एवं ए0 एस0 आई0 उदल सिंह भदौरिया अ0सा06 के कथन तात्त्विक बिंदुओं पर परस्पर विरोधाभासी रहें हैं अभियोजन द्वारा रोजनामचा सान्हा भी प्रकरण में पेश नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

22. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करे यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।

23. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 15.09.15 को 17:10 बजे अपने मकान में विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 5 के उल्लंघन में वैध अनुज्ञप्ति के बिना पटाखों का निर्माण किया एवं विक्रय के लिए अपने आधिपत्य में रखा। फलतः यह न्यायालय आरोपी रहीम खां को संदेह का लाभ देते हुए उसे विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9(ख) (1)(क) के आरोप से दोषमुक्त करती है।

24. आरोपी पूर्व से जमानत पर हैं उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

25. प्रकरण में जप्तशुदा पटाखे अपील अवधि पश्चात विधिवत निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर भेजे जावे अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 13-09-2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित

कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड,
मध्यप्रदेश